प0 सं0–14/डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–49/11–3013 /रा0, पटना–15, दिनांक–21/12/2012

**बिहार सरकार**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

–: **अधिसूचना** :–

पत्र सं0 .............. सिवान दिनांक....................

चूंकि बिहार सरकार को प्रतीत होता है कि मौजा– धरहरा, थाना नं0– 125, थाना– सिवान, परगना– चौबार, जिला– सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु राजस्व विभाग, बिहार सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा– धरहरा, थाना नं0– 125 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम–बेस 0.05 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिसूचित खेसरा निम्न प्रकार है :– 706 अंश, 707 अंश, 708 अंश, 709 अंश एवं 710 अंश।

**अधिसूचित भूमि की चौहद्दी**

उत्तर – 700 पूर्ण।

दक्षिण – 710 अंश।

पूरब – 707 अंश, 708 अंश एवं 709 अंश।

पश्चिम– 706 अंश।

यह अधिसूचना भू अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धो के अधीन जैसा कि बिहार भू–अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। सरकारी भूमि पाये जाने पर हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित या विर्निदिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपवंध उक्त भूमि पर लागू नही होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

समाहर्त्ता,
सिवान।

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

पी0 टी0 ओ0

ज्ञाप सं0–14 / डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–49 / 11–3013 / रा0, पटना–15, दिनांक–21/12/2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो–दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीध्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा / समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।